राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(1) स.आ./अनुग्रह सहा/09/ 3889-3915 जयपुर,दिनांक:21.03.2009

जिला कलेक्टर,
अजमेर, बाड़मेर,बीकानेर, भीलवाड़ा,
डूंगरपुर, जैसलमेर,जालौर, जोधपुर,
नागौर, पाली, राजसमन्द एवं सिरोही।

विषय :– अभाव संवत 2065 में अकाल प्रभावित क्षेत्रों में अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराने बाबत् दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 05.02.2009 में लिए गये निर्णयानुसार अभाव घोषणा पश्चात राज्य के अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में असहाय व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता स्वीकृत करने के संबंध में निम्न दिशा– निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

1 हर ग्राम स्तर पर असहाय सहायता के पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की जाए। उक्त सूची को ग्रामसभा में प्रस्तुत कर असहाय सहायता के पात्र व्यक्तियों का चयन ग्रामसभा में कराया जाये। सूची में अपात्र व्यक्तियों का चयन नहीं हो इसको सुनिश्चित किया जाये। यदि पात्र व्यक्ति सूची में चयनित होने से वंचित रह गया है, उसे जोड़ा जा सकता है। ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात, यह सूची रजिस्टर में संधारित की जाए व रजिस्टर में सरपंच,पटवारी,ग्रामसेवक एवं जहां तक सम्भव हो वार्ड पंच एवं ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये जाए। चयनित लाभार्थियों की सूचीं को नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी कराया जाए। ग्राम सभा में असहाय सहायता के रूप में दी जाने वाली नकद राशि व गेहूं की मात्रा की जानकारी सभी को दी जाए।

2 अनुग्रह सहायता जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत की जाए तथा इस कम में प्राप्त शिकायतों का दर्ज व निस्तारण जिला कलक्टर के स्तर पर किया जाए।

3 अनुग्रह सहायता के लाभार्थियों की पात्रता निम्नानुसार रहेगी:–

(क) ऐसे असहाय,वृद्ध,कमजोर,अपाहिज व्यक्ति, अनाथ, अवयस्क बच्चे, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, एकल महिला जो कार्य करने योग्य नहीं हो एवं जो स्वयं की आजीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं है तथा किसी भी प्रकार की पेंशन उन्हें प्राप्त नहीं हो।

(ख) गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की ऐसी गर्भवती महिला, जो राहत कार्यो पर कार्य करने में सक्षम नहीं है।

(ग) किसी भी योजना में पेंशन पाने वाला तथा किसी भी अन्य योजना में सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अनुग्रह सहायता मद से सहायता पाने का अधिकारी नहीं होगा।

4 चयनित व्यक्तियों को असहाय सहायता नकद रूप में एक साथ ग्राम में एकत्रित कर वितरित की जाए।

5 इस राहत गतिविधि पर नकद व्यय राहत मद से देय होगा। इस मद में होने वाले व्यय का मानचित्र प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को भिजवाया जाए।

6 अनुग्रह सहायता, नगरपालिका/परिषद/निगम क्षेत्रों के व्यक्तियों को स्वीकृत नहीं की जाए।

7 अनुग्रह सहायता राशि का आवंटन पटवारी एवं ग्राम सेवक में से किसी भी एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा।

8 अनुग्रह सहायता अभाव अवधि में 60 दिवस के लिए देय होगी।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको प्रेषित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 10 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अनुग्रह सहायता का वितरण सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

21/2/01

शासन सचिव